International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत के ग्रामीण परिपेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन

दीप्ति कुमारी
शोधकर्ती, अर्थशास्त्र
ललितनारायणमिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा।

आजादी के इतने वर्षों के उपरांत आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों कीमहिलाओं की सामाजिक एवंआर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में 70प्रतियात लोग गाँव में बसते हैं। गाँव के विकास तथा प्रगति में महिलाओं के सबलहाथ इसके प्रतीक है। चाहे परिवार हो . खेत खलिहान हो काम हो, सम में महिलाएँकंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबरवैधानिक , राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उनकेपरिवार , समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सास्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने कीस्वायत्तता से है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं कीसामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। महिलाएं सदैव हमारी सामाजिक ,सांस्कृतिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का आधार रही है। आज की परिस्थतियों मेजीवन के हर क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा है। सभी महिलाएं कर्मशील होतीहै। परन्तु उनके द्वारा किये गये कार्य को गुदा में नहीं मापा जाता। यही कारण हैकि किसी भी प्रदेश की कुल आय में महिलाओं की आय नगण्य है। इसका दूसराकारण यह भी है कि अधिकतर महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती है।परिणामस्वरूप उनके द्वारा अर्जित आय कुल सकल आय में दिख नहीं पाती।

इसलिए यह आवश्यक है कि गहिलाओं को कार्य क्षेत्र को संगठितकिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा अर्जित आय कुलसकल आय में दिख नहीं पाती। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के कार्यक्षेत्र को संगठित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वाराअर्जित आय उन्हें ही प्राप्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के दायित्व औरजीवन संदर्भ भी बदलें है , ऐसे में आज महिला पुरुष के बीच की जिम्मेवारी हमसबकी है और सभी आज मदद कर रहे हैं।

बिहार सरकार ने 2005 एवं 2010 में संपन्न हुए पंचायत एवं नगरपालिका आम चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। यह आरक्षण एकऐसा समय में दिया गया जब केन्द्र में महिलाओं के विधायिकाओं में आरक्षण कामुद्दा बार -बार उठ रहा था और हर सरकार उसे उडे बस्ते में डालती रही। ऐसे मेंयह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि महिलाओं को दिया गया यह आरक्षणक्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा में उठाया गया कदम है। जनसंख्या में महिलाएंपुरूषों के लगभग बाराबर है तथा ग्रामीण महिलाओं का 7.5 प्रतिशत परिवार लघुएवं सीमांत किसान है। भूमिहीन महिलाओं में अधिकतर अनुसूचित जाति से आतीहैं तथा वे अधिकतर अशिक्षित तथा खेतों में श्रमिक के रूप में उत्पादन हेतु 14-15घंटे श्रम करती हैं। स्वतंत्रता के 80 वर्षों के बाद भी खेतिहार महिलाएँ उपेक्षित हैं।पुरूष निर्मित व्यवस्था में महिलाएँ श्रम एवं सामाजिक स्थिति में अभी भी बराबरनहीं समझी जाती। वास्तव में कृषि उत्पाद में खेती का कोई काम

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उससे अछूतानहीं है और ये पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं हैं। सार्क द्वारा 1990 कोबालिका वर्ष घोषित किया गया। राष्ट्र की जनशक्ति का 50 प्रतिशत महिलाओं एवंबालिकाओं की संख्या है लेकिन कितनी विडम्बना है कि पुत्र होने पर खुशी तथापुत्री होने पर दुःख मनाया जाता है। साथ ही साथ बालिकाओं के पठनपाठन

स्वास्थ्य, पोषित आहार, नियोजन आदि सुविधा ओ में विभेद किया जाता है , जिसके चलते उन्हें विकास के लिएउचितवातारण नहीं मिलता। आज तो स्थिति यह हैवि अनेक प ढे-लिखे परिवारों द्वारा विज्ञान के एमिनियोसन्टसीस नामक आविष्कारका दुरूपयोग किया जाने लगा है जिसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था किगर्भ में शिशु ठीक है या विकलांग। देश के अनेक नगरों तथा महानगरों के कईनिजी अस्पतालों में इस विधि से महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे के लिंग कापता लगा लेते है। यदि लड़की है तो बहुत बार इसकी हत्या कर दी जाती है।आश्चर्य की बात तो यह है कि यह घटना गरीब तथा निम्न वर्गीय परिवारों में नहींवरन् पढ़े-लिखे तथा आधुनिक कहे जाने वाले परि में भी देखने को मिलता है।

हमारे देश में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में गिरावट होरही है। 1901 में प्रति एक हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाएँ 972 थी जबकि1981 में 933 तथा 1991 में 926 हो गया है। यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार एकसाल की उम्र तक के बच्चों में 132 लड़के मरते हैं तो 148 लड़कियों । अधिक मृत्युदर उनके साथ हर स्तर पर किये जाने वाले भेदभाव का परिणाम है। हमारेविकासशील देश में 50 प्रतिशत से अधिक गर्भवती औरतें शरीर में खून की कमीतथा कुपोषण की शिकार होती है जबकि अमेरिका तथा यूरोपीय देश में 17प्रतिशत ही (हिन्दुस्तान टाईम्स. 14 मई, 1993) इसका कारण तात्कालिक नहींबल्कि बचपन से ही उनके प्रति किया गया उपेक्षापूर्ण व्यवहार है। यही कारण हैकि जहाँ 1975 में गर्भपात से होने वाली मौतों की संख्या 7.9 प्रतिशत थी वही1991 में बढकर 19.7 प्रतिशत हो गई है।

यदि 1991 की जनसंख्या पर गौर किया जाये तो पता चलता है किपुरुष स्त्री का अनुपात वर्तमान से बेहतर था। विगत एक दशक में महिला कीजनसंख्या में हास और बढ़ा है। यह हास गांवों की अपेक्षा शहरों तथा कस्बों में

ज्यादा देखने को मिला है जहाँ साराता दर ज्यादा है। यह इस बात का संकेतकहै कि साक्षर समुदाय में महिलाओं को प्रति अनुदारता व संकुचन की प्रवृत्ति ज्यादाहै।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाएं आज सशक्त हुई हैं तथाउनमें जागृति आयी है और वे हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के आर्थिकव सामाजिक दशा में सुधार आया है। हालां। वे आज घर से बाहर भी निकलरही, पर्दा भी न के बराबर ही है।

कुछ महिलाओं का मानना है कि उन्हें अपना निर्णय लेने में घर केपुरूष सदस्य दखलअंदाजी करते हैं। वे आज हर समस्याओं के खिलाफ लड़ने कोतैयार है तथा वे महिला अत्याचार के विरुद्ध मोर्चा खोलकर अपने अधिकारों केलिए लड़ने को तैयार हैं तथा अपने लड़कियो को भी शिक्षित बनाने के लिए पूराजोर दे रही हैं। आज अगर देखी जाए तो निम्न वर्ग की महिलाओं में सुधारतोआया है परन्तु उनमें और अधिक

जागृति लाने की जरूरत है। अधिकांश महिलाओंका मानना है कि आज महिलाएं पहले से तो सशक्त हुई हैं परन्तु फिर भी समाजमें पुरूष वर्चस्व की स्थिति विद्यमान है।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारीबढ़ाने के लिए समय -समय पर नीतियों का निर्माण किया है। महिलाओं और बच्चोके समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधनविकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया है। 2006 से इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास की देखरेखकरने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करताहै , महिलाओं के बारे में कानून बनाता है और उनमें संशोधन करता है और

महिलाओं को विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर -सरकारी दोनोंतरह के संगठनों के प्रयासों का दिशा-निर्देशन और समन्वय करता है।

इसके अलावा विभाग महिलाओं के लिए कुछ अभिनव कार्यक्रमों कोभी लागू करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण , रोजगार और आमदनीबढाने , कल्याण और सहायक सेवाओं तथा जागरूकता पैदा करने और महिलाओं मेंचेतना जगाने के क्षेत्र में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य महिलाओंको आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इन योजनाओं के फलस्वरूप भी महिलाओं मेंजागृति आयी है। महिलाएं आज घर से बाहर निकली हैं। उनमें राजनीतिक चेतनाआयी है और वे राजनीति में भी अपना परचम लहरा रही हैं।

संदर्भ-सूची

1. भारतीय महिलाएं दशा एवं दिशा - सुभाष शर्मा।

2. महिला श्रमिक- सरोज राय।

3. कर्मशील महिलाएं एवं भारतीय समाज - डॉ0 सुभाषचन्द्र गुप्ता।

4. कुरुक्षेत्र (पत्रिका ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

5. राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट।